

झारखण्ड सरकार  
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

प्रशांत कुमार,  
सचिव

सेवा में,

मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर ;  
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी;  
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

राँची, दिनांक: 28/06/2021

विषय :- वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान जल संसाधन विभाग अन्तर्गत जलपथ प्रमंडल, गढ़वा तथा जलपथ प्रमंडल, मेदिनीनगर को प्रमण्डलान्तर्गत नये भवनों का निर्माण एवं पुराने भवनों का जीर्णोद्धार हेतु कुल रु. 24.40 लाख (रुपये चौबीस लाख चालीस हजार मात्र) मात्र निधि का आवंटन।

प्रसंग :- प्रशासनिक स्वीकृतिदेश संख्या- 67/18-19 प्र.स्वी., दिनांक -14.02.2019 Online AA-2120/14.02.19


महाशय,

वित्तीय वर्ष 2021-22 में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष 4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय के अंतर्गत परिशिष्ट-1 में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालय को आवंटन संसूचित किया जाता है :-

क्र.	मॉग संख्या/मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष/विपत्र कोड	आवंटित राशि (लाख रु. में)
1	2	3	4	5
1.	49-जल संसाधन विभाग/ 4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय/ 80-सामान्य	789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना/ 66- नये भवनों का निर्माण एवं पुराने भवनों का जीर्णोद्धार	05-निर्माण, 45-निर्माण कार्य 49S47018078966000545	24.40

आवंटित राशि -रु चौबीस लाख चालीस हजार मात्र।

- आवंटित राशि वर्ष 2021-22 के बजट उपबंध रु. 200.00 लाख (रु. दो करोड़) मात्र के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98, 1800 (वि.) दि. 15.07.2003, 1363 दि. 09.05.2016 तथा 2747(वि.), दिनांक-19.09.16 के आलोक में होगा।
- आवंटित राशि का व्यय स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम, प्रशासनिक स्वीकृति एवं तकनीकी स्वीकृति के अंतर्गत परिशिष्ट-1 के विवरण के अनुरूप किया जायेगा।
- संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता अपने परिक्षेत्राधीन कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा स्वयं करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्राणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।
- सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।



(राजेन्द्र प्रसाद)  
उप सचिव (अभि.)



(अशोक कुमार दास)  
संयुक्त सचिव (अभि.)

7. राशि की निकासी कर उसे चालू / बचत खाता में नहीं रखा जाय।
8. आवंटित राशि से दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।
9. इस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगे। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
10. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षक अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
11. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
12. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 31 मार्च, 2022 के पूर्व तक निश्चित रूप से कर देंगे। साथ ही यदि किसी इकाई में आवंटित राशि का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरिक्त राशि का यथाशीघ्र प्रत्यार्पण कर दिया जाय। राशि का प्रत्यार्पण, Online उप शीर्षवार किया जाय एवं पूर्ण प्रत्यार्पण प्रतिवेदन Hard Copy में Access No तथा Revoke No/Surrender No (संबंधित LOC संख्या सहित) का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।

नोट : आवंटित राशि को Online Allotment System द्वारा निर्गत किया जा चुका है, जिसका Access No. परिशिष्ट-1 के स्तंभ-12 में अंकित है। यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनुलग्नक-यथोक्त।

  
(प्रशांत कुमार)  
सचिव

ज्ञापांक :- 51

रॉची, दिनांक :- 28/06/2021

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड पो. - हिनू रॉची/कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा/रॉची/मेदिनीनगर/गढ़वा सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।  
अनुलग्नक-यथोक्त।


  
(प्रशांत कुमार)  
सचिव


ज्ञापांक :- 51

रॉची, दिनांक :- 28/06/2021

प्रतिलिपि :- अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, योजना-सह-वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.) रॉची/अभियंता प्रमुख -I एवं II जल संसाधन विभाग /संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.), जल संसाधन विभाग/प्रशाखा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक-यथोक्त।

  
(राजेन्द्र प्रसाद)  
उप सचिव (अभि.)

  
(अशोक कुमार दास)  
संयुक्त सचिव (अभि.)

  
(प्रशांत कुमार)  
सचिव



विभागीय पत्रांक..... 51

दिनांक ..... 28/06/2021

का अनुलग्नक

परिशिष्ट-1

मौग संख्या-49-जल संसाधन विभाग  
मुख्य शीर्ष-4701 मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परियय,  
उप-मुख्य शीर्ष-80-सामान्य,  
लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना  
उप शीर्ष-66-नये भवन का निर्माण एवं पुराने भवन का जीर्णोद्धार  
विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण, 45-निर्माण कार्य, विपत्रकोड- 49S47018078966000545  
आवृत्ति राशि वर्ष 2021-22 के बजट उपबंध रु. 200.00 लाख मात्र।

(राशि लाख रु. में)

क्र.	प्रमंडल का नाम	मुख्य अभिवंता	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति		मार्च 2021 तक का व्यय	वित्तीय वर्ष 2021-22 में आवंटन			योजना पर कुल अद्यतन आवंटन (7+10)	On-line Allotment Access No.	अभ्युक्ति
				प्रसंग	राशि		पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटन			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	जलपथ प्रमंडल, गढ़वा (GRHARR004)	मेदिनीनगर	जल संसाधन विभाग के अंतर्गत शीर्ष 4701 में भवनों के समीक्षण, पुरानी भवनों की मरम्मत के अश्वीन मुख्य अभिवंता, जल मेदिनीनगर, परिक्षेत्राधीन कार्य।	67/18-19 प्र.स्वी., दिनांक -14.02.2019 Online AA-2120/14.02.19	670.98	10.00	0.00	9.98	9.98	19.98	28946	फूलवरिया सिंचाई योजना के शीर्ष कार्य स्थल पर अवस्थित निरीक्षण भवन सहित पूरे परिसर का सुस्वात्मक धरा (प्र.स्वी. में प्रावधान रु. 20.41 लाख)। वायीं वाकी सिंचाई योजना के शीर्ष कार्य स्थल पर अवस्थित निरीक्षण भवन सहित पूरे परिसर का सुस्वात्मक धरा (प्र.स्वी. में प्रावधान रु. 19.59 लाख)।
2						10.64	0.00	5.80	5.80	16.44		
							0.00	15.78	15.78	36.42		
3	जलपथ प्रमंडल, मेदिनीनगर (PLMARR003)	मेदिनीनगर	जल संसाधन विभाग के अंतर्गत शीर्ष 4701 में भवनों के समीक्षण, पुरानी भवनों की मरम्मत के अश्वीन मुख्य अभिवंता, जल मेदिनीनगर, परिक्षेत्राधीन कार्य।	67/18-19 प्र.स्वी., दिनांक -14.02.2019 Online AA-2120/14.02.19	670.98	25.94	0.00	5.11	5.11	31.05	28947	जलपथ प्रमंडल सिंचाई शिबिर मेदिनीनगर स्थित स्टाक वर्हाटर एवं कार्यालयों में विद्युत आपूर्ति हेतु HT एवं LT लाईन के तार PSC Pole को बदलने, एक अदद 200 KV ट्रांसफार्मर लगाने का कार्य। (प्र.स्वी. में प्रावधान रु. 32.95 लाख)। जलपथ प्रमंडल सिंचाई शिबिर मेदिनीनगर स्थित स्टाक वर्हाटर EIP-13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 को मजिला आवास एवं वर्हाटर नं. डी-2 आवास के मरम्मत कार्य। (प्र.स्वी. में प्रावधान रु. 70.89 लाख)।
4						59.48	0.00	3.51	3.51	62.99		
							0.00	8.62	8.62	94.04		
							0.00	24.40	24.40	130.46		

आवृत्ति राशि - ₹ चौबीस लाख चालीस हजार मात्र।

(राजेंद्र प्रसाद)  
उप सचिव (अभि.)

(अशोक कुमार दास)  
संयुक्त सचिव (अभि.)

(राजेंद्र प्रसाद)  
उप सचिव (अभि.)

(अशोक कुमार दास)  
संयुक्त सचिव (अभि.)

(प्रशांत कुमार)  
सचिव